

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ 7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014-15 / 7378

दिनांक: 22.09.2020

आदेश

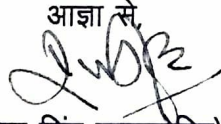
राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं,

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 18-सी के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, मतदान का हकदार होगा। संरपंच एवं पंच के निर्वाचन में मतदान करने के लिए ऐसे मतदाता भी आ सकते हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस हो। ऐसे रिपोर्ट किये गये व्यक्तियों की स्वयं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए और ऐसे व्यक्ति समाज के अन्य नागरिकों को जोखिम में डालने का कारण न बने, इसके लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया विहित करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K एवं पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी करता है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिन पंचायतों के लिए मतदान होना निश्चित है, उन पंचायतों में मतदान से एक दिन पूर्व की कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस की सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं इस हेतु नियुक्त ब्लाक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त सूचना उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार संबंधित मतदान दलों को उपलब्ध करायेगा।
3. यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र में ही है तो ब्लाक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी, कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्यकर्मी/पटवारी/ग्राम सचिव को किसी सुरक्षित माध्यम से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित करेगा। वह कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से उसका मतदाता सूची में नाम एवं क्रमांक भी प्राप्त करेगा।
4. यदि मतदाता मतदान की इच्छा व्यक्त करता है तो ब्लाक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान हेतु समय निर्धारित करा कर उसे सूचित किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति का मतदान सबसे अन्त में कराया जावे।

5. कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों की देख रेख में चिकित्सा विभाग प्रोटोकॉल/निर्देश एवं इस संबंध में नियत सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान कराया जायेगा। मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा मतदान के समय गलबज पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों का अनुपालन करेंगे।
6. स्वास्थ्यकर्मी पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम एवं क्रमांक से अवगत करायेगा। उसकी पहचान के लिए पीपीई किट/मास्क नहीं हटाया जाएगा। मतदान अधिकारी इसका नोट डालकर मतदान के लिए अनुमति देगा।
7. ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट मतदाता द्वारा मतदान के समय मतदान दलों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसकी अंगुली पर अमिट स्याही लगाए जाने की एवं मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर/अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।
8. शंका समाधान के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल में या अन्य तत्समय प्रभावी विधि या नियम के अन्तर्गत यदि ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जा सकता, तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्र इस आदेश के आधार पर ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति को सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से मतदान के लिए नहीं लाया जायेगा।

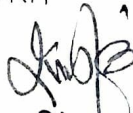
आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/ **7379-82**

दिनांक: 22.09.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. संबंधित उपखण्ड अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. समस्त ब्लाक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी मार्फत उपखण्ड अधिकारी।


(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव